(103)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

R.B.E.No. 37/95

NO.E(NG)I/94/SR6/51 New Delhi, dated 20/4/95

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub:- Seniority of Typists and Stenographers transferred to the clerical cadre of the Accounts Department.

As the Railways are aware in terms of instructions contained in Board's letters No.E(NG)I/85/PM1/13(RRC) dated 13.2.90 and No.E(NG)I/93/PM9/2 dated 25.5.93, Senior Typists (Rs.1200-2040) and Jr. Stenographers (Rs.1200-2040) of Accounts Department who have become Jr. Accounts Asstt. (JAA) on passing the Appendix-2 (IREM) Examination are allowed to count the service in scale Rs.1200-2040 as Sr. Typists and Jr. Stenographers towards the minimum prescribed limit of three years service in grade Rs.1200-2040 for promotion as Accounts Assistant.

2. A question has been raised as to whether the seniority of such Sr. Typists and Jr. Stenographers may be fixed as JAA from the very date of their joining in Accounts Department or from the date of their passing the App.II Exam. or change of category as JAA vis-a-vis the existing Accounts staff working as JAA.

3. Attention in this connection is invited to instructions contained in Board's letter No.E(S)63 CPC/30 dated 31.5.63. It is advised that these instructions may be kept in view while determining seniority of Typists and Stenographers transferred to the clerical cadre of Accounts Deptt. (copy enclosed)

4. Please acknowledge receipt.

(K.B.LALL)
DIRECTOR ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)I/94/एस आर6/5I नई दिल्ली, दिनांक 20.4.95

महाप्रबंधक(का.)
सभी भारतीय रेलें
तथा उत्पादन इकाइयां.

विषय :- लेखा विभाग के लिपिक संवर्ग में स्थानांतरित किए गए टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की वरिष्ठता ।

.

जैसा कि रेलें जानती ही हैं बोर्ड के 13.2.90 के पत्र सं. ई(एन जी) I/85/पी एम I/13(आर आर सी) तथा 25.5.93 के पत्र सं. ई(एन जी)I/93/पी एम 9/2 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, लेखा विभाग के वरिष्ठ टाइपिस्ट (1200-2040 रू.) तथा कनिष्ठ आशुलिपिक (1200-2040 रू.) जो परिशिष्ट II(आई आर ई एम) परीक्षा पास करने पर कनिष्ठ लेखा सहायक (क. ले. स) बन गए हैं, की 1200-2040 रू. के वेतनमान में वरिष्ठ टाइपिस्ट तथा कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में की गयी सेवा लेखा सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए 1200-2040 रू. के ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की निर्धारित न्यूनतम सीमा के लिए गिनी जाती है।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इन वरिष्ठ टाइपिस्टों तथा कनिष्ठ आशुलिपिकों की वरिष्ठता लेखा विभाग में क. ले. स. के रूप में कार्य भार ग्रहण करने की तारीख अथवा परिशिष्ट-II परीक्षा पास करने की तारीख अथवा क. ले. स. के रूप में कार्यरत मौजूदा लेखा कर्मचारियों की तुलना में क. ले. स. कोटि परिवर्तन की तारीख से निर्धारित की जाए ।

3. इस संबंध में बोर्ड के 31.5.63 के पत्र सं. ई(एस)63 सी पी सी 30 में अंतर्विष्ट अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है । यह सूचित किया जाता है कि लेखा विभाग के लिपिक संवर्ग में स्थानांतरित किए गए टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों की वरिष्ठता निर्धारित करते समय इन अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए ।

कृपया पावती दें ।

(के. बी. लाल)
निदेशक स्थापना(एन)
रेलवे बोर्ड ।